सं. 49014/1/2017-स्था.(ग) पार्ट
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 04 सितम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अनियत कामगारों (कैजुअल लेबर) के लिए "समान कार्य के लिए समान वेतन": पूर्ववर्ती अनुदेशों और इस पर माननीय न्यायालयों के निर्णयों का अनुपालन।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 07.06.1988 के का.ज्ञा. सं. 49014/2/86-स्था.(ग) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि:-

- जहां अनियत कामगारों (कैजुअल लेबर) को सौंपे गए कार्य और नियमित कर्मचारियों (रेगुलर एंप्लॉय) को सुपुर्द किए गए कार्य की प्रकृति एक जैसी है, वहां अनियत कामगारों (कैजुअल लेबर) को दिन के 8 घंटे के कार्य हेतु संबंधित वेतनमान के न्यूनतम 1/30वें की दर पर वेतन और महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए।

- उन मामलों में अनियत कामगार (कैजुअल लेबर) को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित न्यूनतम वेतन, दोनों में से जो भी उच्च हो, का भुगतान किया जा सकता है जहां अनियत कामगार (कैजुअल लेबर) द्वारा किए जाने वाले कार्य नियमित कर्मचारी (रेगुलर एंप्लॉय) द्वारा किए जाने वाले कार्य से भिन्न है।

- दैनिक मजदूरी (कैजुअल लेबर) पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को नियमित प्रकृति के कार्य करने हेतु भर्ती न किया जाए।

2. उपर्युक्त अनुदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसलों को ध्यान में रखते हुए जारी किए जाते हैं। यह दोहराया जाता है कि यह सभी मंत्रालयों/विभागों की जिम्मेदारी है कि उपर्युक्त अनुदेशों का पूर्ण रूप से यथावत पालन करें।

सूर्य ना(रायण) झा
4.9.19

(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स: 23094248

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
(मानक सूची के अनुसार)